रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1994/कार्तिक 16, 1916
NO. 456] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1994/KARTIKA 16, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई.सी.बी. और निवेश प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 790(अ).—जबकि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिये अतिरिक्त मसौदा नियमों को दिनांक 7 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3 के उपखंड (1) में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ), दिनांक 7 जुलाई, 1994 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी

व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिन पर भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने की तिथि के बाद से 45 दिनों की समाप्ति से पहले इस अधिसूचना द्वारा प्रभाव पड़ने की संभावना थी ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण को 22 जुलाई, 1994 को उपलब्ध करा दी गई थी और सर्वसाधारण से उक्त मसौदा के संबंध में कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1994 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में, नियम 8 में, खण्ड (4क) में, उपखण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "खण्ड (1) [उसके उप खण्ड (ग) को छोड़कर] अथवा खण्ड (3) [उसके उप खण्ड (च) को छोड़कर" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "खण्ड (1) [उसके उप-खण्ड (ख) और उपखण्ड (च) को छोड़कर] अथवा खण्ड (3) [उसके उप खण्ड (क) और उप खण्ड (च) को छोड़कर]" रख जायेंगे ।

[एफ सं. 2/9/एस.ई./93]

पी.जे. नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना दिनांक 21-2-1957 के सं. का.आ. 576 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, पृ. 619 में प्रकाशित की गई थी और परवर्ती संशोधन अधिसूचनायें सं. सा.का.नि. 666(अ) दिनांक 20 जुलाई, 1987 और सं. सा.का.नि. 870(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 1992 और सं. सा.का.नि. 749(अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित की गई थीं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(ECB and Investment Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1994

G.S.R. 790(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) dated 7th July, 1994 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. G. S. R. 563(E), dated 7th July, 1994, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Gazette of India in the said Notification was published were made available to the public ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 22nd July, 1994 and no objections or suggestions have been received from the public on the said draft ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 namely :—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Fourth Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8, in clause 4A), in sub-clause (iv) for the words, brackets, figure and letter "clause (1) except sub-clause (f) thereof] or clause (3) [except sub-clause (f) thereof]"

the words, brackets, figures and letters" clause (1) [except sub-clause (b) and sub-clause (f) thereof] or clause (3) [except sub-clause (a) and sub-clause (f) thereof]" shall be substituted.

[F. No. 2|9|SE|93]
P. J. NAYAK, Jt Secy

Note :—The principal Notification was issued under No. S.O. 576 dated 21-2-1957 published in the Gazette of India Part II, Section 3, page 619 dated 21-2-1957 and subsequent amendment notifications Nos. G.S.R. 666(E), dated 20th July, 1987, No. G.S.R. 870(E), dated 13th November, 1992 and G.S.R. No. 749 (E), dated 12th October, 1994 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994